

पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना



पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना



उर्वरक में मुख्य रूप से 3 पोषक तत्त्व उपस्थित होते हैं जो कृषि उपज में वृद्धि करते हैं:

पोषक तत्त्व	मुख्य स्रोत
नाइट्रोजन (N)	यूरिया
फॉस्फोरस (P)	DAP
पोटैशियम (K)	MOP

इष्टतम N:P:K अनुपात मृदा के प्रकार के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है किंतु सामान्यतः यह लगभग 4:2:1 के अनुपात होता है।

परिचय:

- इसका कार्यान्वयन वर्ष 2010 से किया जा रहा है।

उद्देश्य:

- किसानों को किफायती मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- इष्टतम NPK अनुपात (4: 2: 1) की प्राप्ति हेतु P एवं K उर्वरकों की खपत में वृद्धि करना।

कार्यान्वयन:

- उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

योजना का महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- सब्सिडी की एक निश्चित दर (₹ प्रति किलोग्राम) वार्षिक आधार पर तय की जाती है।
- यह सब्सिडी पोषक तत्वों: नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश और सल्फर पर दी जाती है।
- फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (P-K) उर्वरकों के लिये दी जाती है।
- इसमें यूरिया आधारित उर्वरक शामिल नहीं हैं।
- NBS अमोनियम सल्फेट को छोड़कर अन्य आयातित मिश्रित उर्वरकों के लिये उपलब्ध है।

भारत में उर्वरक:

- 3 मूलभूत उर्वरक: यूरिया, डाइअमोनियम फॉस्फेट (DAP) और म्यूरिएट ऑफ पोटाश (MOP)
- यूरिया सबसे अधिक उत्पादित, सबसे अधिक उपभोग किया जाने वाला, सर्वाधिक आयातित और भौतिक रूप से विनियमित उर्वरक है।
- यूरिया पर केवल कृषि उपयोग के लिये सब्सिडी दी जाती है।

और पढ़ें....

काला सागर



प्रमुख बंदी

- भौगोलिक वसितार:
 - सीमावर्ती देश: यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्किय, बुल्गारिया और रोमानिया।
 - इसे यूक्सनि सागर के नाम से भी जाना जाता है।
 - यह दक्षिण, पूर्व और उत्तर में क्रमशः पॉटकि, काकेशस और क्रीमियन पहाड़ों से घरिा हुआ है।
 - तुर्की जलडमरूमध्य प्रणाली- डारडानेलस, बोसपोरस और मरमरा सागर- भूमध्यसागर तथा काला सागर के बीच एक ट्रांज़िशन ज़ोन के रूप में कार्य करती है।
 - आज़ोव सागर काला सागर का एक उत्तरी वसितार बनाता है जो कर्च जलडमरूमध्य से जुड़ा हुआ है।
 - एनोक्सकि जल; काला सागर के जल में ऑक्सीजन की भारी कमी है।
- रूस - यूक्रेन संघर्ष:
 - यूक्रेन में रूसी सैन्य नरियेतरण का कषेतर:
 - वर्ष 2022 में डोनेबास पर नरियेतरण स्थापति कयिा गया जसिमें डोनेट्सक और लुहांसक कषेतर भी शामिल हैं।
 - क्रीमिया: रूस ने वर्ष 2014 में क्रीमिया पर कबज़ा कयिा था।
 - मारयिपोल और ओडेसा : रूस का फोकस इन कषेतरों पर है:
 - मारयिपोल, डोनेट्सक में अज़ोव बंदरगाह का सागर है।
 - क्रीमिया के पश्चिम में ओडेसा है।
 - 'बोसपोरस' और 'डारडानेलस' जलडमरूमध्य: मॉटरेक्स कन्वेंशन द्वारा तुर्किय को एजियन, मरमरा और काला सागर को जोड़ने वाले डारडानेलस एवं बोसपोरस जलडमरूमध्य से युद्धपोतों के गुज़रने पर कुछ नरियेतरण प्रापुत होता है।
 - नौसैनिक अभ्यास 'सी बरीज' : इसमें नाटो राज्य तथा इसके सहयोगी देश शामिल होते हैं।
- पर्यावरण संदरभ:
 - तुर्किय का मरमरा सागर (Sea of Marmara): इसमें 'सी स्नॉट' (Sea Snot) का सबसे बड़ा प्रकोप देखा गया।

दूरस्थ मतदान सुवधि

प्रलिमिस के लिये:

दूरस्थ मतदान सुवधि, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, भारत नरिवाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ETPBS), e- SHRAM पोर्टल

मेन्स के लिये:

रमिोट वोटिंग सुवधि, रमिोट वोटिंग की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार ने कहा कि वह **अनवासी भारतीयों (NRI)**, विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों के लिये **दूरस्थ मतदान सुवधि** पर विचार कर रही है, ताकि चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करते हुए दूरस्थ मतदान सुवधि उपलब्ध कराई जा सके।

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2020 में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने दूरस्थ मतदान को सक्षम करने के लिये **ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग** करने का विचार भी प्रस्तावित किया। इसका उद्देश्य मतदान में भौगोलिक बाधाओं को दूर करना है।
 - आयोग दूरस्थ मतदान की संभावना पर विचार कर रहा है जिससे लोग अपने कार्यस्थल से मतदान कर सकेंगे।
- जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम 2017** में **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** की धारा 20A के तहत लगाए गए 'अनुचित प्रतिबंध' को हटाने का प्रस्ताव किया गया था, जिसके तहत विदेश में रह रहे भारतीय मतदाताओं को अपने नरिवाचन क्षेत्रों में मतदान करने के लिये भौतिक रूप से उपस्थित रहने की आवश्यकता होती है।
 - यह वर्ष 2018 में अधिनियम में पारित हो गया था, लेकिन **16वीं लोकसभा के भंग** होने के साथ समाप्त हो गया।
- वर्तमान में केवल नमिनलखित मतदाताओं को **डाक मतपत्र** के माध्यम से अपना वोट डालने की अनुमति है:
 - सेवारत मतदाता (सशस्त्र बल, किसी राज्य का सशस्त्र पुलिस बल और विदेश में तैनात सरकारी कर्मचारी),
 - मतदाता, चुनाव ड्यूटी में संलग्न,
 - 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता या वकिलांग व्यक्ति (PWD),
 - नवारक नजरबंदी** के तहत मतदाता।

रमिोट वोटिंग/दूरस्थ मतदान:

- दूरस्थ मतदान किसी नियत मतदान केंद्र के अलावा कहीं और व्यक्तिगत रूप से हो सकता है या किसी अन्य समय पर हो सकता है या वोट डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं या नियुक्त प्रॉक्सी द्वारा डाले जा सकते हैं।
 - वभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा मांग की गई है कि चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रवासी श्रमिक **एनआरआई (अनवासी भारतीय) जो मतदान से चूक जाते हैं, क्यों कि अपने मताधिकार का प्रयोग** करने के लिये चुनाव के दौरान घर जाने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, उन्हें जिस शहर में वे काम कर रहे हैं, वहाँ के नरिवाचन क्षेत्र में वोट देने की अनुमति दी जानी चाहिये।

दूरस्थ मतदान की आवश्यकता:

- प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण:**
 - मतदाता अपने पंजीकरण के स्थान से शहरों और अन्य स्थानों पर शिक्षा, रोजगार और अन्य उद्देश्यों के लिये प्रवासन करते हैं। उनके लिये वोट डालने के लिये अपने पंजीकृत मतदान केंद्रों पर लौटना मुश्किल हो जाता है।
 - यह भी देखा गया है कि उत्तराखंड के दुमक और कलगोठ जैसे गाँवों में लगभग **20-25%** पंजीकृत मतदाता अपने नरिवाचन क्षेत्रों में वोट डालने में असमर्थ हैं क्योंकि उन्हें नौकरी या शैक्षिक कारण से अपने गाँव/राज्य से बाहर जाना पड़ता है।
- मतदान प्रतिशत में कमी:**
 - वर्ष 2019 के आम चुनावों के दौरान कुल **910** मिलियन मतदाताओं में से लगभग **300** मिलियन नागरिकों ने अपना वोट नहीं डाला।
- महानगरीय क्षेत्रों से संबंधित चिंताएँ:**
 - चुनाव आयोग द्वारा शहरी क्षेत्रों में मतदाता के लिये 2 कमी. के भीतर मतदान केंद्र स्थापित किये जाने के बावजूद कुछ महानगरों/शहर क्षेत्रों में कम मतदान के बारे में चिंता व्यक्त की गई। शहरी क्षेत्रों में मतदान को लेकर उदासीनता को दूर करने की आवश्यकता महसूस की गई।
- असंगठित श्रमिकों का बढ़ता पंजीकरण:**

○ **प्रवासी श्रमिकों की संख्या लगभग 10 मिलियन** हैं, जो असंगठित क्षेत्र से हैं और सरकार के **ई-श्रम पोर्टल** पर पंजीकृत हैं। यदि रमोट वोटिंग परियोजना को लागू किया जाता है, तो इसके दूरगामी प्रभाव होंगे।

■ **स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ:**

○ **मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों** की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है क्योंकि वे भी मुख्य विचार-व्यक्ति बन रहे हैं। दूरस्थ मतदान सुविधा के परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी मतदान प्रतिलिपि में वृद्धि होगी।

रमोट वोटिंग से संबंधित समस्याएँ :

■ **सुरक्षा:**

○ कोई भी नई प्रौद्योगिकी प्रणाली जिसमें ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और अन्य पर आधारित प्रणाली शामिल है, **साइबर हमलों एवं अन्य सुरक्षा कमजोरियों के प्रति संवेदनशील है।**

■ **सत्यता और पुष्टिकरण:**

○ इसके अलावा एक **मतदाता सत्यापन प्रणाली** जो बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है, जैसे कि चेहरे की पहचान, मतदाता पहचान में सकारात्मक या नकारात्मक झूठी जानकारी दे सकती है, इस प्रकार से धोखाधड़ी को बल मलित है।

■ **इंटरनेट कनेक्शन और मालवेयर सुरक्षा:**

○ **मतदान हेतु मतदाताओं की निरभरता विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन पर रहती है** कुछ देशों में इंटरनेट की पहुँच और उपलब्धता एवं ई-सरकारी सेवाओं का उपयोग सीमित है।

○ मतदाताओं के उपकरणों पर सॉफ्टवेयर त्रुटियाँ या मालवेयर भी वोट कास्टिंग (मतदान) को प्रभावित कर सकते हैं।

■ **गोपनीयता:**

○ मतदाता गोपनीयता और अंतिम परिणामों की अखंडता की रक्षा के लिये चुनावों में हमेशा उच्च स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। चुनावों की सुरक्षा ज़रूरतों को पूरा करने का मतलब है ऑनलाइन वोटिंग तकनीक से उन बाधाओं को दूर करना होगा जो मतदाता की गोपनीयता के लिये खतरा उत्पन्न कर सकती हैं।

■ **पसंदीदा वातावरण:** यह भी संभव है कि मतदान अनिश्चित वातावरण में हो। अतः यह सुनिश्चित करना मुश्किल है कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से और बिना ज़बरदस्ती के मतदान करे।

○ इसमें जोखिम यह है कि कोई अन्य व्यक्ति मतदाता की ओर से मतदान करता है, इसलिये मतदाता की पहचान करना मुश्किल है।

भारतीय चुनावों में प्रवासी मतदाताओं के लिये वर्तमान मतदान प्रक्रिया:

■ **जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010** के माध्यम से पात्र एनआरआई जो छह महीने से अधिक समय तक विदेश में रहे थे, को मतदान करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन केवल मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से जहाँ उन्हें एक विदेशी मतदाता के रूप में नामांकित किया गया था।

○ वर्ष 2010 से पहले एक भारतीय नागरिक जो एक पात्र मतदाता है तथा छह महीने से अधिक समय से विदेश में रह रहा हो, चुनाव में मतदान नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिये था क्योंकि वह देश से बाहर छह महीने से अधिक समय तक रहा है और NRI का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था।

■ NRI, **नरिवाचन क्षेत्र में अपने निवास स्थान पर मतदान कर सकता है**, जैसा कि पासपोर्ट में उल्लिखित है।

■ वह केवल व्यक्तिगत रूप से मतदान कर सकता है और पहचान के लिये उसे मतदान केंद्र पर अपना **पासपोर्ट मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।**

आगे की राह

■ ऑनलाइन मतदान प्रणाली को यह सत्यापन करने में भी सक्षम होना चाहिये कि इसमें **चुनाव की अखंडता बनी रहने के साथ** मतदान प्रक्रिया के दौरान कोई हेरफेर नहीं हुई हो।

■ यह महत्वपूर्ण है कि रमोट वोटिंग की किसी भी प्रणाली में चुनावी प्रणाली के सभी हितधारकों- मतदाताओं, राजनीतिक दलों और चुनाव मशीनरी के **विश्वास एवं स्वीकार्यता को ध्यान में रखने के साथ** राजनीतिक सहमति भी रमोट वोटिंग शुरू करने का एक रास्ता है।

■ यदि सरकार या आम जनता इसकी सुरक्षा, अखंडता और सटीकता को लेकर आश्वस्त नहीं है तो उचित कानूनी ढाँचे के बावजूद ऑनलाइन वोटिंग प्रणाली का उपयोग करना व्यर्थ होगा।

■ प्रभावी डाक प्रणाली तथा डाक मतपत्र तंत्र, जो नामित कांसुलर/दूतावास कार्यालयों में मतपत्र के उचित प्रमाणीकरण की अनुमति देता है, **को अनवासी भारतीयों के लिये आसान बनाया जाना चाहिये**, लेकिन देश से दूर बतियाए गए समय के आधार पर पात्रता हेतु नियमों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

????????????

भारत में मतदान करने और नरिवाचित होने का अधिकार है: (2017)

- (a) मौलिक अधिकार
- (b) प्राकृतिक अधिकार
- (c) संवैधानिक अधिकार

(d) कानूनी अधिकार

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- मतदान का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 326 में नहिंति है जिसमें प्रावधान कथिा गया है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लयि नरिवाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और कम से कम अठारह वर्ष की आयु का है और संविधान या समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनविास, चतितवकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा नरिहति नहीं कर दया जाता है, को ऐसे किसी नरिवाचन में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार होगा।
- नरिवाचति होने के अधिकार के तहत संविधान में संसद सदस्य (अनुच्छेद 84), राज्य विधानमंडलों के सदस्य (अनुच्छेद 173), राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लयि आवश्यक न्यूनतम योग्यता का प्रावधान कथिा गया है। अनुच्छेद 84 में प्रावधान कथिा गया है कि भारत का एक नागरिक जो तीस वर्ष से कम आयु का नहीं है, वह राज्यसभा में चुने जाने के लयि पात्र है और ऐसा व्यक्ति जो पच्चीस वर्ष से कम आयु का नहीं है, वह लोकसभा में चुने जाने के लयि पात्र है।

अतः विकल्प (c) सही उत्तर है।

Q. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए गए व्यक्तियों की अयोग्यता निर्धारण प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है"। टपिपणी कीजयि। (2020)

स्रोत: द हिंदू

जम्मू-कश्मीर की एसटी सूची में पहाड़ी जनजाति

प्रलिमिंस के लयि:

अनुसूचति जनजाति, अनुसूचति जनजाति के लयि राष्ट्रीय आयोग, TRIFED, जनजातीय वदियालयों का डजिटल रूपांतरण

मेन्स के लयि:

अनुसूचति जाति और जनजाति से संबंधति मुददे

चर्च में क्यों?

"पहाड़ी जातीय समूह" को अब [राष्ट्रीय अनुसूचति जनजाति आयोग \(NCST\)](#) द्वारा केंद्रशासति प्रदेश जम्मू और कश्मीर की [अनुसूचति जनजाति \(ST\)](#) सूची में शामिल करने के लयि मंजूरी दे दी गई है।

- आयोग ने "पददारी जनजाति", "कोली" और "गड्डा ब्राह्मण" समुदायों को जम्मू-कश्मीर की एसटी सूची में शामिल करने का भी आह्वान कथिा।
- वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में 12 ऐसे समुदाय हैं जिन्हें अनुसूचति जनजाति के रूप में अधिसूचति कथिा गया है।

किसी समुदाय को अनुसूचति जनजातियों की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया:

- जनजातियों को ST की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया संबंधति राज्य सरकारों की सफारिश से शुरू होती है, जिसे बाद में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता है, जो समीक्षा करता है और अनुमोदन के लयि भारत के महापंजीयक को इसे प्रेषति करता है।
- इसके बाद अंतमि नरिणय के लयि कैबिनेट को सूची भेजे जाने से पहले राष्ट्रीय अनुसूचति जनजाति आयोग का अनुमोदन आवश्यक है।
- इसका अंतमि नरिणय अनुच्छेद 342 में नहिंति शक्तियों के तहत राष्ट्रपति द्वारा कथिा जाता है।
- किसी भी समुदाय को अनुसूचति जनजाति में शामिल करना तभी प्रभावी होता है जब राष्ट्रपतिसंविधान (अनुसूचति जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करने वाले विधियक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पारति कथिे जाने के बाद, अपनी सहमति देता है।

ST सूची में शामिल होने के फायदे:

- यह कदम अनुसूचित जनजातियों की संशोधित सूची में नए सूचीबद्ध समुदायों के सदस्यों को **सरकार की मौजूदा योजनाओं के तहत** लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।
- कुछ प्रमुख लाभों में **पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, विदेशी छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय फेलोशिप**, शिक्षा के अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम से रियायती ऋण तथा छात्रों के लिये छात्रावास शामिल हैं।
- इसके अलावा वे **सरकारी नीतिके अनुसार सेवाओं में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने** के भी हकदार होंगे।

भारत में जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और पहल:

■ संवैधानिक प्रावधान:

- वर्ष 1931 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों को "बहिष्कृत" और "आंशिक रूप से बहिष्कृत" क्षेत्रों में रहने वाली **"पछिड़ी जनजाति"** कहा जाता है। **वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं में "पछिड़ी जनजातियों"** के प्रतिनिधियों को शामिल करने हेतु प्रावधान किया।
- संविधान अनुसूचित जनजातियों की मान्यता के मानदंडों को परिभाषित नहीं करता है, इसलिये वर्ष 1931 की जनगणना में नहिती परिभाषा का उपयोग स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक वर्षों में किया गया था।
- हालाँकि संविधान का अनुच्छेद 366 (25) केवल अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के लिये प्रक्रिया प्रदान करता है: "अनुसूचित जनजातियों का अर्थ ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के कुछ हिस्सों या समूहों से है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है।
- **342 (1): राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में**, जबकि राज्य के संदर्भ में राज्यपाल के परामर्श के बाद सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जनजातियों या जनजातीय समुदायों के हिस्से या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर के समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में नरिदषिट कर सकता है।
- **संविधान की पाँचवीं अनुसूची में** असम, मेघालय, त्रिपुरा और मजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है।
- **छठी अनुसूची** असम, मेघालय, त्रिपुरा और मजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।

■ कानूनी प्रावधान:

- **अस्पृश्यता के खिलाफ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955**
- **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989**
- **पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक वसति) अधिनियम, 1996**
- **अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006**

अनुसूचित जनजातियों के लिये सरकार की पहल:

- **ट्राइफेड**
- **जनजातीय स्कूलों का डिजिटल परिवर्तन**
- **वशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों का विकास**
- **प्रधानमंत्री वन धन योजना**
- **संबंधित समितियाँ:**
 - **शाशा समिति (2013)**
 - **भूरिया आयोग (2002-2004)**
 - **लोकुर समिति (1965)**

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अधीन लाया जाता है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसके परिणाम को सर्वोत्तम तरीके से प्रतिबिंबित करता है? (2022)

- इससे जनजातियों की भूमि गैर-जनजातीय लोगों को हस्तांतरित होने से रोका जा सकेगा।
- यह उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय गठित करेगा।
- यह उस क्षेत्र को केंद्रशासित प्रदेश में बदल देगा।
- ऐसे क्षेत्रों वाले राज्य को विशेष श्रेणी का राज्य घोषित किया जाएगा।

उत्तर: (a)

प्रश्न. भारत के संविधान की कसि अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमिके खनन के लिये निजी पक्षकारों के अंतरण को शून्य घोषित किया जा सकता है?

- तीसरी अनुसूची
- पाँचवीं अनुसूची

- (c) नौवीं अनुसूची
(d) बारहवीं अनुसूची

उत्तर: (b)

प्रश्न. सवतंत्रता के बाद से अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिये राज्य द्वारा की गई दो मुख्य वधिक पहलें क्या हैं? (मेन्स-2017)

स्रोत: द हट्टि

जैव हथियारों पर रूस के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से भारत अनुपस्थिति

प्रलिस के लिये:

जैविक हथियार सम्मेलन, जनिवा प्रोटोकॉल 1925, संयुक्त राष्ट्र संकल्प, रूस-यूक्रेन संघर्ष, सामूहिक वनिश के हथियार (WMD) ।

मेन्स के लिये:

रूस-यूक्रेन संकट पर भारत का रुख, जैविक हथियार सम्मेलन- विशेषताएँ और इसका महत्त्व ।

चर्चा में क्यों?

भारत, रूस द्वारा प्रस्तावित [संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव](#) से अनुपस्थिति रहा जिसमें अमेरिका और यूक्रेन पर [जैविक हथियार सम्मेलन \(BWC\)](#) का उल्लंघन करने के लिये "सैन्य जैविक गतिविधियों" को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है ।

- इस प्रस्ताव से पहले भारत हाल ही में UNSC के एक अन्य प्रस्ताव से अनुपस्थिति रहा जिसमें रूस के चार यूक्रेनी क्षेत्रों के कब्जे को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी ।

जैविक हथियार सम्मेलन:

परिचय:

- जैविक हथियार सूक्ष्मजीवविज्ञानी एजेंटों (जैसे बैक्टीरिया, वायरस या कवक) या वषिकृत पदार्थों का उपयोग जान-बूझकर मनुष्यों, जानवरों या पौधों की मौत या उन्हें नुकसान पहुँचाने के लिये किया जाता है ।

जैविक हथियार अभिसमय:

परिचय:

- औपचारिक रूप से "बैक्टीरियोलॉजिकल (जैविक) और वषिकृत हथियारों के विकास, उत्पादन तथा भंडारण एवं उनके वनिश के निषिध पर अभिसमय" के रूप में जाना जाता है, अभिसमय पर जनिवा, स्विट्ज़रलैंड में नरिसुत्रीकरण समिति के सम्मेलन में वार्ता की गई थी ।

- यह 26 मार्च, 1975 को लागू हुआ ।

दायरा:

- यह जैविक और वषिकृत हथियारों के विकास, उत्पादन, अधगिरहण, हस्तांतरण, भंडारण एवं उपयोग को प्रभावी ढंग से प्रतिबिधित करता है ।

महत्त्व:

- यह [सामूहिक वनिश के हथियारों \(WMD\)](#) के प्रसार को सीमति करने के लिये अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों में एक प्रमुख तत्त्व है और इसने जैविक हथियारों के खिलाफ एक मज़बूत मानदंड स्थापित किया है ।

- WMD की सभी श्रेणियों पर प्रतिबिधित लगाने वाली यह पहली बहुपक्षीय नरिसुत्रीकरण संधि थी ।

- यह वर्ष 1925 के जनिवा प्रोटोकॉल का पूरक है, जिसके द्वारा युद्ध में जैविक (और रासायनिक) हथियारों के उपयोग को प्रतिबिधित किया गया था ।

- लीग ऑफ नेशन के तत्त्वाधान में जनिवा में आयोजित एक सम्मेलन में जनिवा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये गए थे ।

- यह वर्ष 1928 में प्रभावी हुआ ।

- भारत ने इस प्रोटोकॉल की पुष्टि की है ।

◦ **सदस्य:**

- 184 भागीदार देशों और चार हस्ताक्षरकर्त्ताओं के साथ इसकी लगभग सार्वभौमिक सदस्यता है।
- भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्त्ता देश है।

UNGA का प्रस्ताव:

- **परिचय:** संयुक्त राष्ट्र के संकल्प और नरिणय संयुक्त राष्ट्र के अंगों की राय या इच्छा की औपचारिक अभिव्यक्ति हैं।
 - संकल्प की प्रकृति निर्धारित करती है कि क्या इसे राज्यों के लिये बाध्यकारी माना जाता है।
- **UNGA प्रस्ताव:** संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 10 और 14 में महासभा के प्रस्तावों को "सफिरशि" कहा गया है।
 - **अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)** द्वारा महासभा के प्रस्तावों की 'सफिरशि प्रकृति' पर बार-बार ज़ोर दिया गया है।
 - हालाँकि संयुक्त राष्ट्र के आंतरिक मामलों से संबंधित महासभा के कुछ प्रस्ताव- जैसे कबिजटीय नरिणय या नमिन-श्रेणी के नकियाओं को नरिदेश देना, स्पष्ट रूप से बाध्यकारी हैं।
- **UNSC प्रस्ताव:** सामान्य तौर पर चार्टर के अध्याय VII के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अपनाए गए प्रस्तावों को चार्टर के अनुच्छेद 25 के अनुसार बाध्यकारी माना जाता है।
 - हालाँकि वे UNSC के स्थायी सदस्यों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले वीटो के अधीन हैं।

रूस और यूक्रेन से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के पछिले प्रस्तावों पर भारत का रुख:

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र के नमिनलखित प्रस्तावों का बहिष्कार कया:
 - **यूएस-प्रायोजित UNSC प्रस्ताव** जसिने यूक्रेन के खलिफ रूस की आकरामकता की कड़े शब्दों में नदि की।
 - रूस ने यूक्रेन में मानवीय स्थिति पर **UNSC के प्रस्ताव** का मसौदा तैयार कया, जसिमें नागरिकों की सुरकषति, तीवर, स्वैच्छक और नरिबाध नकिसी सुनशिचति करने के लयि बातचीत के ज़रयि संघर्ष वरिम का आह्वान कया गया।
 - यूक्रेन में रूस के कार्यों की जाँच के लयि एक अंतरराष्ट्रीय आयोग की स्थापना हेतु **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद** में प्रस्ताव पारति कया गया।
 - **UNGA का प्रस्ताव**, जसिने यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाइयों के लयि उसकी नदि की।
 - इस प्रस्ताव से अनुपस्थति रहने वाले 34 अन्य देश भी थे जनिमें चीन, पाकसितान, बांग्लादेश और शरीलंका के अलावा मध्य एशियाई और कुछ अफ्रीकी देश शामिल थे।
 - **अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)** का प्रस्ताव चार परमाणु ऊर्जा स्टेशनों और **चेरनोबलि** सहति कई परमाणु अपशष्टि स्थलों पर सुरकषा से संबंधित है, क्योंकि रूसियों ने उन पर नरिंतरण कर लयि था।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

????????

प्रश्न. हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 'ऑस्ट्रेलिया समूह' तथा 'वासेनार व्यवस्था' के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय नरियात नरिंतरण व्यवस्थाओं में भारत को सदस्य बनाए जाने का समर्थन करने का नरिणय लयि है। इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच क्या अंतर है? (2011)

1. 'ऑस्ट्रेलिया समूह' एक अनौपचारिक व्यवस्था है जसिका लक्ष्य नरियातक देशों द्वारा रासायनिक तथा जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायक होने के जोखमि को न्यूनीकृत करना है, जबकि 'वासेनार व्यवस्था' OECD के अंतरगत गठित औपचारिक समूह है जसिके समान लक्ष्य हैं।
2. 'ऑस्ट्रेलिया समूह' के सहभागी मुख्यतः एशियाई, अफ्रीकी और उत्तरी अमेरिका के देश हैं, जबकि 'वासेनार व्यवस्था' के सहभागी मुख्यतः यूरोपीय संघ और अमेरिकी महाद्वीप के देश हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

??????

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट प्राप्त करने में भारत के सामने आने वाली बाधाओं पर चर्चा कीजिये। (2015)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

राजनीतिक अपराधीकरण

प्रलिमिंस के लिये:

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, राजनीतिक अपराधीकरण।

मेन्स के लिये:

राजनीतिक अपराधीकरण के कारण, प्रभाव और समाधान।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के दो वधायकों को आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराया गया था, लेकिन उनमें से केवल एक को अयोग्य घोषित किया गया है और उसकी सीट को राज्य के वधानसभा सचिवालय द्वारा रक्ति घोषित किया गया है।

राजनीतिक अपराधीकरण:

परिचय:

- इसका अर्थ राजनीति में अपराधियों की भागीदारी से है, जिसमें अपराधी चुनाव लड़ सकते हैं और संसद तथा राज्य वधायिका के सदस्य के रूप में चुने जा सकते हैं।
- यह मुख्य रूप से राजनेताओं और अपराधियों के बीच साँटगाँट के कारण होता है।

आपराधिक छवि के उम्मीदवारों की अयोग्यता के कानूनी पहलू:

- भारतीय संविधान में संसद या वधानमंडल का चुनाव लड़ने वाले किसी आपराधिक प्रवृत्त के व्यक्ति की अयोग्यता के विषय में उपबंध नहीं किया गया है।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** में वधानमंडल का चुनाव लड़ने के लिये किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने के मानदंडों का उल्लेख है।
 - इस अधिनियम की धारा 8 (अर्थात कुछ अपराधों के लिये दोषसिद्धि के संबंध में अयोग्यता) के तहत दो साल से अधिक की जेल की सज़ा पाने वाला व्यक्ति जेल की अवधि समाप्त होने के बाद छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है।
- अयोग्यता के खिलाफ संरक्षण:**
 - RPA की धारा 8(4) के तहत वर्ष 2013 तक वधानमंडल सदस्य तत्काल अयोग्यता से बच सकते थे।
 - इस प्रावधान के अनुसार, संसद या राज्य वधानमंडल के सदस्य तीन महीने के लिये अयोग्य नहीं होंगे।
 - यदि इस अवधि के दौरान दोषी वधानमंडल सदस्य अपील या पुनरीक्षण आवेदन करता है, तो अपील के नपिटारे तक यह प्रभावी नहीं होगा।
 - वर्ष 2013 में 'ललि थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 8(4) को असंवैधानिक ठहरा कर इसे नरिस्त कर दिया था।
 - आरपीए की धारा 8(4) के तहत वधायक वर्ष 2013 तक तत्काल अयोग्यता से बच सकते हैं।
 - प्रावधान के अनुसार संसद सदस्य या राज्य के वधायक तीन महीने के लिये अयोग्य नहीं होंगे।
 - यदि उस अवधि के भीतर दोषी वधायक अपील या पुनरीक्षण आवेदन दायर करता है, तो यह अपील या आवेदन के नपिटारे तक प्रभावी नहीं होगा।
 - ललि थॉमस बनाम भारत संघ, 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने खंड (4) को असंवैधानिक करार दिया, इस प्रकार सांसदों द्वारा प्राप्त सुरक्षा को हटा दिया गया।
- सर्वोच्च न्यायालय की संबंधित शक्ति:**
 - सुप्रीम कोर्ट के पास न केवल सज़ा देने बल्कि किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि पर भी रोक लगाने की शक्ति है। कुछ दुर्लभ मामलों में अपीलकर्ता को चुनाव लड़ने में सक्षम बनाने के लिये दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई है।
 - हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की रोक बहुत दुर्लभ और विशेष कारणों से होनी चाहिये। आरपीए स्वयं चुनाव आयोग (EC) के माध्यम से एक उपाय प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 11 के तहत चुनाव आयोग कारणों को रिकॉर्ड कर सकता है और किसी व्यक्ति की अयोग्यता की अवधि को हटा सकता है या कम कर सकता है।
- राजनीतिक अपराधीकरण का कारण:**
 - प्रवर्तन की कमी:** कानूनों और नरिणों के प्रवर्तन की कमी के कारण कई कानूनों और न्यायालयी नरिणों ने ज़्यादा मदद नहीं की है।
 - नहित स्वार्थ:** राजनीतिक दलों द्वारा चुने गए उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास का प्रकाशन बहुत प्रभावी नहीं हो सकता है, क्योंकि भितदाताओं का एक बड़ा हिस्सा जातिया धर्म जैसे सामुदायिक हितों से प्रभावित होकर मतदान करता है।

■ बाहुबल और धन का उपयोग:

- गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के पास अक्सर धन और संपदा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, इसलिये वे दल के चुनावी अभियान में अधिक-से-अधिक पैसा खर्च करते हैं और उनकी राजनीति में प्रवेश करने तथा जीतने की संभावना बढ़ जाती है।
- इसके अलावा कभी-कभी मतदाताओं के पास कोई विकल्प नहीं बचता है, क्योंकि सभी प्रतस्पर्द्धी उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि होती है।

राजनीति के अपराधीकरण के प्रभाव:

- स्वतंत्र और नष्पिक्ष चुनाव के सिद्धांत के विरुद्ध: यह एक उपयुक्त उम्मीदवार का चुनाव करने के संबंध में मतदाताओं की पसंद को सीमित करता है।
 - यह स्वतंत्र और नष्पिक्ष चुनाव के लोकाचार के खिलाफ है जिससे लोकतंत्र का आधार माना जाता है।
- सुशासन पर प्रभाव: प्रमुख समस्या यह है कि कानून तोड़ने वाले कानून बनाने वाले बन जाते हैं, इससे सुशासन सुनिश्चित करने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रभावकारिता प्रभावित होती है।
 - लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये अस्वस्थ प्रवृत्तियाँ भारत के राज्य संस्थानों की प्रकृति और इसके नरिवाचति प्रतिनिधियों की गुणवत्ता की खराब छवि को दर्शाती हैं।
- लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा पर प्रभाव: इससे चुनाव के दौरान और बाद में काले धन का प्रचलन भी बढ़ता है, जो बदले में समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ाता है और लोक सेवकों के कामकाज को प्रभावित करता है।
- सामाजिक वषिमता का कारण बनना: इससे समाज में हिसा की संस्कृतिका प्रसार होता है और युवाओं के भविष्य के खलिवाड़ के साथ शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र में लोगों के वशिवास को कम करता है।

आगे की राह

- चुनावों का राज्य वतितपोषण: चुनाव सुधार पर बनी विभिन्न समितियों (दनिश गोस्वामी, इंदरजीत समिति) ने [राज्य द्वारा चुनावी खर्च वहन कयि ज्ञाने](#) की सफ़िरशि की, जिससे काफ़ी हद तक चुनावों में काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाने में मदद मल्लगी और परिणामस्वरूप राजनीति के अपराधीकरण को सीमित कयि जा सकेगा।
- चुनाव आयोग को सुदृढ बनाना: एक स्वच्छ चुनावी प्रक्रयि हेतु राजनीतिक पार्टियों के मामलों को वनियमति करना आवश्यक है, जिसके लयि [नरिवाचन आयोग \(Election Commission\)](#) को मज़बूत करना ज़रूरी है।
- जागरूक मतदाता: मतदाताओं को चुनाव के दौरान धन, उपहार जैसे अन्य प्रलोभनों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है।
- न्यायपालिका की सक्रयि भूमिका: भारत के राजनीतिक दलों की राजनीति के अपराधीकरण और भारतीय लोकतंत्र पर इसके बढ़ते हानकारक प्रभावों को रोकने के प्रति अनचिछा को देखते हुए यहाँ के न्यायालयों को अब गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबिध लगाने जैसे फैसले पर वचिर करना चाहयि।

UPSC सवलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न: अक्सर कहा जाता है कि 'राजनीति' और 'नैतिकता' एक साथ नहीं चलते हैं। इस संबंध में आपकी क्या राय है? दृष्टांतों के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजयि। (मुख्य परीक्षा, 2013)

प्रश्न. जन प्रतिनिधित्व अधनियम, 1951 के तहत संसद या राज्य वधिनमंडल के सदस्य के चुनाव से उत्पन्न वविदों को तय करने के लयि प्रक्रयिओं पर चर्चा कीजयि। ऐसे कौन से आधार हैं जनि पर कसि भी उम्मीदवार का चुनाव शून्य घोषति कयि जा सकता है? नरिणय के विरुद्ध पीड़ति पक्ष के पास क्या उपाय उपलब्ध है? केस कानूनों का संदर्भ लीजयि। (मुख्य परीक्षा, 2022)

[स्रोत: द हट्टि](#)

इंदरधनुष और जलवायु परिवर्तन

प्रलिमिंस के लयि:

इंदरधनुष नरिमाण

मेन्स के लयि:

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक शोध में पाया गया है कि [ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन](#) में वृद्धि के कारण क्लाउड कवर और वर्षा में परिवर्तन से औसत वैश्विक वार्षिक इंद्रधनुष दिनों में वृद्धि होने का अनुमान है।


- वर्ष 2100 तक वरिष्ठ स्तर पर इंद्रधनुष के औसत दिनों में 4.0-4.9% की वृद्धि होने की उम्मीद है।

अध्ययन से इंद्रधनुष के बारे में नबिकर्षः

- **कम इंद्रधनुष वाले क्षेत्र:**
 - लगभग 21-34% भूमि क्षेत्र इंद्रधनुष के दिनों को खो देंगे।
 - मध्य अफ्रीका, मेडागास्कर और मध्य दक्षिण अमेरिका को छोड़कर जिन क्षेत्रों में इंद्रधनुष के दिनों में कमी आएगी, उनमें वर्ष 2100 तक कुल वर्षा में कमी का अनुमान है।
 - सभी में अधिक वार्षिक शुष्क दिनों और कम कुल वार्षिक क्लाउड कवर होने का अनुमान है।
- **उच्च इंद्रधनुष वाले क्षेत्र:**
 - उच्च उत्सर्जन वाले क्षेत्र (लगभग 66-79%) इंद्रधनुष के दिनों को प्राप्त करेंगे।
 - भारत उन देशों में से एक है जहाँ इंद्रधनुष के दिनों की संख्या बढ़ेगी।
 - माली, नाइजर, चाड, सूडान और इथियोपिया जैसे अफ्रीकी देशों में भी अधिक इंद्रधनुष बनने की संभावना है।
 - रेनबो गेन हॉटस्पॉट ज़्यादातर उच्च अक्षांशों पर या बहुत अधिक ऊँचाई पर स्थित होते हैं, जैसे तबिबती पठार, जहाँ कम बर्फ और अधिक बारिश होने की संभावना होती है।
 - पूर्वी बोरनियो और उत्तरी जापान जैसे दो इंद्रधनुष हॉटस्पॉट में कुल वर्षा में वृद्धि होगी लेकिन प्रतिवर्ष अधिक शुष्क दिनों होंगे।

इंद्रधनुष और जलवायु परिवर्तन में परस्पर संबंधः

- **वषियः**
 - इंद्रधनुष एक सामान्य वायुमंडलीय प्रकाशीय घटना है। बरसात के मौसम में जब पानी की बूँदें सूर्य के प्रकाश पर पड़ती हैं तब सूर्य की किरणों का विक्षेपण ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण बनता है।
 - जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूँदों से टकराती है, तो कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कई अलग-अलग वेवलेंथ के साथ प्रकाश से बना होता है और प्रत्येक वेवलेंथ एक अलग कोण पर परावर्तित होता है। इस प्रकार स्पेक्ट्रम अलग हो जाता है, जिससे इंद्रधनुष बनता है।
 - इंद्रधनुष को कोहरे, समुद्री फुहारें या झरनों के आसपास भी देखा जा सकता है।
 - यह एक दृष्टि संबंधी/ऑप्टिकल भ्रम है, यह वास्तव में आकाश में किसी वशिष्ट स्थान पर मौजूद नहीं होता है।
 - इंद्रधनुष प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन का परिणाम है।
 - अपवर्तन और परावर्तन दोनों ही ऐसी घटनाएँ हैं जिनमें तरंग की दिशा में परिवर्तन शामिल होता है।
 - अपवर्तित तरंग "झुकी हुई" दिखाई दे सकती है, जबकि परावर्तित तरंग किसी सतह या अन्य तरंगाग्र से "वापस आती हुई" प्रतीत हो सकती है।
 - प्राथमिक इंद्रधनुष पर रंग हमेशा उनकी तरंग दैर्ध्य के क्रम में होते हैं, दीर्घ से सबसे लघु तक: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी।



■ जलवायु परिवर्तन के साथ संबंध:

- जीवाश्म ईंधन जलाने जैसी मानवीय गतिविधियाँ वातावरण को गर्म कर रही हैं, जिससे स्वरूप और वर्षा एवं बादलों की मात्रा में परिवर्तन होता है।
- जलवायु परिवर्तन वाष्पीकरण और नमी के अभिसरण को प्रभावित करके इंद्रधनुषी घटना के वितरण को बदल देगा।
 - यह वर्षा और बादल अच्छादन के स्वरूप को बदल देता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

वर्षा की बूँदों पर सूर्य की रोशनी पड़ने पर इंद्रधनुष बनता है। नमिनलखिति में से कौन-सी भौतिक घटनाएँ इसके लिये उत्तरदायी हैं? (2013)

1. प्रकीर्णन
2. अपवर्तन
3. आंतरिक परावर्तन

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्यख्या:

- इंद्रधनुष एक मौसम संबंधी घटना है जो जल की बूँदों द्वारा प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन के कारण होती है जिसके परिणामस्वरूप आकाश में प्रकाश का एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है।
- यह एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो वर्षा के बाद आकाश में दिखाई देता है। यह वातावरण में मौजूद जल की छोटी बूँदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है।
- इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इसमें जल की बूँदें, छोटे प्रज्ञिम की तरह कार्य करती हैं। ये आपतित सूर्य के प्रकाश को अपवर्तित करने के साथ इसमें प्रकीर्णन करती हैं, फिर इसे आंतरिक रूप से परावर्तित करने के साथ अंत में वर्षा की बूँद से बाहर आने पर इसे फिर से अपवर्तित करती हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन और आंतरिक परावर्तन के कारण अलग-अलग रंग प्रेक्षक की आँखों तक पहुँचते हैं। **अतः कथन 1, 2 और 3 सही हैं।**

स्रोत: डाउन टू अर्थ

अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रज़िर्व दविस

प्रलिस के लयि:

बायोस्फीयर रज़िर्व, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को), भारत में बायोस्फीयर रज़िर्व, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम।

मेन्स के लयि:

बायोस्फीयर रज़िर्व: नरिधारण के लयि मानदंड, मुख्य कषेत्र, कार्य, अंतरराष्ट्रीय स्थिति।

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2022 से प्रत्येक वर्ष 3 नवंबर को 'अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रज़िर्व दविस' के रूप में मनाया जाएगा।

बायोस्फीयर रज़िर्व:

परचिय:

- बायोस्फीयर रज़िर्व (BR), यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक परदृश्यों के सांकेतिक भागों के लयि दया गया एक अंतरराष्ट्रीय पदनाम है, जो स्थलीय या तटीय/समुद्री पारस्थितिक तंत्रों के बड़े कषेत्रों या दोनों के संयोजन को शामिल करता है।
- बायोस्फीयर रज़िर्व प्राकृतिक संरक्षण के साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा संबद्ध सांस्कृतिक मूल्यों के रखरखाव को भी संतुलित करने का प्रयास करता है।
- बायोस्फीयर रज़िर्व को राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों द्वारा नामित कया जाता है और वे उन राज्यों के संप्रभु अधिकार कषेत्र में आते हैं जहाँ वे स्थिति हैं।
- इन्हें 'MAB अंतरराष्ट्रीय समन्वय परिषद' (MAB ICC) के नरिण्यों के बाद यूनेस्को के महानदिशक द्वारा अंतर-सरकारी MAB कार्यक्रम के तहत नामित कया जाता है।
 - मैन एंड बायोस्फीयर रज़िर्व प्रोग्राम (MAB) एक अंतर-सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों और उनके वातावरण के बीच संबंधों में सुधार के लयि वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है।
- इन्की स्थिति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है।


तीन मुख्य कषेत्र:

- कोर कषेत्र (Core Areas):** इसमें एक जटिल या सुभेद्य संरक्षित कषेत्र शामिल है जो परदृश्य, पारस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक भिन्नता के संरक्षण में योगदान देता है।
- बफर कषेत्र (Buffer Zone):** यह मुख्य कषेत्र को चारों तरफ से संरक्षित करता है या जोड़ता है तथा इसका उपयोग ध्वनि पारस्थितिक गतिविधियों को संतुलित करने हेतु कया जाता है जो वैज्ञानिक अनुसंधान, नगरानी, प्रशिक्षण एवं शिक्षा को सुदृढ़ कर सकते हैं।
- संक्रमण कषेत्र (Transition Area):** संक्रमण कषेत्र वह स्थान है जहाँ समुदाय सामाजिक-सांस्कृतिक और पारस्थितिक रूप से टिकाऊ आर्थिक एवं मानवीय गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।

भारत/वशिव में बायोस्फीयर रज़िर्व की स्थिति:

भारत में:

- भारत में वर्तमान में 60,000 वर्ग कमी में फैले 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रज़िर्व हैं।
- भारत में पहला बायोस्फीयर रज़िर्व तमलिनाडु, कर्नाटक और केरल में फैले नीलगिरि के नीले पहाड़ थे।
- सबसे बड़ा बायोस्फीयर रज़िर्व कच्छ (गुजरात) की खाड़ी है और सबसे छोटा डबिरू-सैखोवा (असम) है।
- अन्य बड़े बायोस्फीयर रज़िर्व मन्नार की खाड़ी (तमलिनाडु), सुंदरबन (पश्चिम बंगाल) और शीत रेगसिस्तान (हमिाचल प्रदेश) हैं।



■ वैश्विक स्तर पर:

○ परिचय:

- यूनेस्को के अनुसार, 22 ट्रांसबाउंडरी साइटों सहित **134 देशों में 738 बायोस्फीयर रज़िर्व** हैं।

○ क्षेत्र के आधार पर:

- सबसे अधिक बायोस्फीयर रज़िर्व **यूरोप और उत्तरी अमेरिका** में हैं, इसके बाद एशिया और प्रशांत, लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियन, अफ्रीका एवं अरब देशों का नाम आता है।
- **दक्षिण एशिया** में, 30 से अधिक बायोस्फीयर रज़िर्व स्थापित किये गए हैं। **पहला श्रीलंका में हुरुलु बायोस्फीयर रज़िर्व** था, जिसमें 25,500 हेक्टेयर उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन शामिल था।
 - बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में अब तक कोई बायोस्फीयर रज़िर्व नहीं है।


○ देशों के आधार पर :

- ऐसी साइटों की **सबसे अधिक संख्या स्पेन, रूस और मैक्सिको** में है।

○ विश्व का प्रथम 'पाँच देशों का बायोस्फीयर रज़िर्व':

- यह बायोस्फीयर रज़िर्व मुरा, द्रवा और डेन्यूब नदियों के 700 किलोमीटर के क्षेत्र और **ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी तथा सर्बिया** में फैला हुआ है, जिसे **यूनेस्को** द्वारा सितंबर 2021 में घोषित किया गया।
- इस रज़िर्व का कुल क्षेत्रफल एक मिलियन हेक्टेयर है जिसे **'यूरोप का अमेज़न' (Amazon of Europe)** कहा जाता है तथा यह अब **यूरोप में सबसे बड़ा नदी संरक्षण क्षेत्र** है।

Countries with highest biosphere reserves



आगे की राह

- संक्रमण क्षेत्रों में वन संसाधनों पर निर्भर आदवासियों के भूमि अधिकारों को सुरक्षित किया जाना चाहिये।
- मुन्नार घोषणा पत्र जो बताता है कि बायोस्फीयर रज़िर्व को रेगिस्तान और गंगा के मैदानी जैव-भौगोलिक क्षेत्रों से बाहर रखा जा सकता है, को भी लागू किया जाना चाहिये।
- चूँकि बायोस्फीयर रज़िर्व अवधारणा का उद्देश्य सतत विकास था, इसलिये शब्द **आरक्षण** को एक उपयुक्त शब्द के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये।
- सरकार को विभिन्न बायोस्फीयर रज़िर्व जैसे नीलगरि बायोस्फीयर रज़िर्व पर आक्रमण करने वाली विदेशी प्रजातियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिये।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2013)

1. नोकरेक बायोस्फीयर रज़िर्व: गारो पहाड़ियाँ
2. लोकटक झील: बरैल रेंज
3. नामदफा राष्ट्रीय उद्यान : डफला हिल्स

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) 1, 2 और 3
- (d) कोई नहीं

उत्तर: (a)

प्रश्न. जैवविविधता के साथ-साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिये सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से कसि एक की स्थापना करने में नहिती है? (2014)

- (a) जीवमंडल नचिय (रज़िर्व)
- (b) वानस्पतिक उद्यान
- (c) राष्ट्रीय उपवन
- (d) वन्यजीव अभयारण्य

उत्तर: (a)

प्रश्न. भारत के सभी बायोस्फीयर रज़िर्व में से चार को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड नेटवर्क के रूप में मान्यता दी गई है। नमिनलखिति में से कौन-सा उनमें से एक नहीं है? (2008)

- (a) मन्नार की खाड़ी
- (b) कंचनजंगा
- (c) नंदा देवी
- (d) सुंदरबन

उत्तर: (b)

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/04-11-2022/print>

